

मध्यप्रदेश शासन,  
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 23-11/2017/25-5

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर, 2018

प्रति,

आयुक्त,  
अनुसूचित जाति विकास,  
भोपाल

विषय: अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की वर्ष 2017-18 से 2019-20 की प्रदान की गई निरन्तरता में संशोधन।

संदर्भ: समसंख्यक आदेश दिनांक 12 सितम्बर, 2018

उपरोक्त विषय में संदर्भित आदेश का अवलोकन करे जिसके द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की वर्ष 2017-18 से 2019-20 हेतु संशोधित निरन्तरता जारी की गई है। उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. आदेश की कंडिका (1) में निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-  
अशासकीय संस्थाओं के जिन पाठ्यक्रमों के लिए "प्रवेश एवं फीस नियामक समिति" एवं "निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग" द्वारा फीस निर्धारित की जाती है ऐसी अशासकीय संस्थाओं के उन पाठ्यक्रमों के लिए "प्रवेश एवं फीस नियामक समिति" एवं "निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग" द्वारा निर्धारित फीस देय होगी।
2. संदर्भित आदेश दिनांक 12 सितम्बर, 2018 के संशोधन शैक्षणिक सत्र वर्ष 2018-19 से लागू होंगे।
3. शेष यथावत।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(सचिन्द्र राव)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

भोपाल, दि. सितम्बर, 2018

पृ.क्र. एफ 23-11/2017/25-5

प्रतिलिपि:

1. विशेष सहायक, मा. मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, भोपाल
5. प्रमुख सचिव, समन्वय, भोपाल
6. समस्त सभागायुक्त, मध्यप्रदेश

7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
8. समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश
9. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश
10. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, मंत्रालय, भोपाल  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश

राजीव गाँधी भवन, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल

ई-मेल: comscd@nic.in

पृष्ठा.क्रमांक/शिक्षा-1/2018-19/

5822

भोपाल दिनांक 18-9-18

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. उप महानिदेशक (डी.डी.जी.) एवं राज्य सूचना अधिकारी (एस.आई.ओ.), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी), विध्यांचल भवन, भोपाल मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातिय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातिय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अयुक्त

अनुसूचित जाति विकास

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन,  
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 23-11/2017/25-5

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 2018

प्रति,

आयुक्त,  
अनुसूचित जाति विकास,  
भोपाल

विषय: अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की वर्ष 2017-18 से 2019-20 की प्रदान की गई निरन्तरता में संशोधन।

संदर्भ: समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जनवरी, 2018

उपरोक्त विषय में संदर्भित आदेश का अवलोकन करें जिसके द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की वर्ष 2017-18 से 2019-20 हेतु निरन्तरता प्रदान की गई है।

राज्य शासन एतद्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की वर्ष 2017-18 से 2019-20 की प्रदान की गई निरन्तरता में वित्तीय आकार केंद्रांश राशि रु. 18764.81 लाख तथा राज्यांश राशि रुपये 83735.19 लाख के निर्धारण के साथ निम्नानुसार संशोधन अनुसार निरन्तरता की स्वीकृति प्रदान करता है:-

(1) जिन अशासकीय संस्थाओं के पाठ्यक्रमों के लिए "प्रवेश एवं फीस नियामक समिति" एवं "निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग" द्वारा फीस निर्धारित की गई है उनके शुल्क की प्रतिपूर्ति की आय सीमा रु. 3.00 लाख से बढ़ाकर रु. 6.00 लाख वार्षिक की जाती है। रुपये 2.50 लाख तक की आय सीमा का व्यय भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा और रुपये 2.50 लाख से रु. 6.00 लाख तक का व्यय भार राज्य शासन वहन करेगा।

अशासकीय संस्थाओं में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी फीस "प्रवेश एवं फीस नियामक समिति" एवं "निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग" द्वारा निर्धारित नहीं की गई है उन पाठ्यक्रमों की फीस पूर्ववत शासकीय संस्थाओं के पाठ्यक्रमों के समतुल्य भुगतान की जायेगी।

(2) मा. मुख्यमंत्री की घोषणा क्रमांक बी 1694 अनुसार कक्षा 01 से पी एच डी तक शासकीय एवं शासकीय वित्त पोषी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाना है। उक्त घोषणा के आधार पर "पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" अंतर्गत अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की आय सीमा का बंधन समाप्त किया जाता है।

(3) योजना का नाम "पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना" के स्थान पर "छात्रवृत्ति कक्षा 11 वीं, 12 वीं एवं महाविद्यालयीन" किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(सचिन्द्र राव)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

भोपाल, दि. 12 सितम्बर, 2018

पृ.क्र. एक 23-11/2017/25-5

प्रतिलिपि:

1. विशेष सहायक, मा. मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल
2. प्रमुख सचिव; अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, भोपाल
5. प्रमुख सचिव, समन्वय, भोपाल
6. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
8. समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश
9. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश
10. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, भोपाल  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अद्योषित।



अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश

राजीव गाँधी भवन, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल

ई-मेल: comscd@nic.in

पृष्ठा क्रमांक/शिक्षा-1/2018-19/  
प्रतिलिपि:-

5825

भोपाल दिनांक

18-9-18

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. उप महानिदेशक (डी.डी.जी.) एवं राज्य सूचना अधिकारी (एस.आई.ओ.), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी), विद्याचल भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



अनुसूचित जाति विकास

मध्यप्रदेश